भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 326*
11 **अगस्त**, 2023 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

प्रधान मंत्री वृक्ष आयुष योजना

*326. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने देश में औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की खेती और उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "प्रधान मंत्री वृक्ष आयुष योजना" के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना और विपणन की व्यवस्था स्थापित करने के लिए निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या वैज्ञानिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या एनएमपीबी ने औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के विकास के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 11 अगस्त, 2023 **को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 326* के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क): जी नहीं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में औषधीय पादपों की खेती, उत्पादन को बढ़ावा देने और फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और विपणन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए "प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना" नामक प्रारूप स्कीम तैयार की थी। प्रधान मंत्री वृक्ष आयुष योजना पर प्रारूप स्कीम को वापस ले लिया गया है और इसके अतिरिक्त, इस प्रस्ताव पर और आगे कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) 'औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन' पर केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, औषधीय पादपों के सर्वेक्षण, पहचान, लक्षण वर्णन और संरक्षण संबंधी अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप करने, कृषि तकनीकों का विकास, पौधशाला तकनीकों और कृषि पद्धतियों का मानकीकरण और इन-विट्रो प्रसार अध्ययन, सूक्ष्म-प्रसार रसायन और मोलेक्यूलर प्रोफाइलिंग और फाइटो-रसायन मूल्यांकन हेतु परियोजना आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

इसी स्कीम के अंतर्गत, पूरे देश में पौधशालाओं की स्थापना करने और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का विकास करने हेतु परियोजना आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का विकास करने के लिए समर्थित परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, इसी स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने देश के विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों में स्थित मौजूदा सरकारी विभागों / संस्थानों (सीएसआईआर, विश्वविद्यालयों, आयुष संस्थानों आदि) में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) की स्थापना की है। इन आरसीएफसी को, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है और वे खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों और अन्य हितधारकों को उनका वितरण करते हैं।

एनएमपीबी की क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान विकसित औषधीय पादप प्रजातियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) और प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी)	संगठन का नाम और पता	जारी की गई निधियां (रूपये लाख में)	विकसित की गईं गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की पौध की संख्या (संख्या में)
1.	**आरसीएफसी** (उत्तरी क्षेत्र-1)	भारतीय चिकित्सा प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आरआईआईएसएम), जोगिंदर नगर, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश - 175 015	135.00	13,18,880
2.	**आरसीएफसी** (उत्तरी क्षेत्र-2)	शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड	120.00	15,91,308

		टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर (SKUAST-K), कृषि संकाय, वडूरा, सोपोर - 193201, जम्मू और कश्मीर		
3.	**आरसीएफसी** (मध्य क्षेत्र)	राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एसएफआरआई), पोलिपाथर, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482 008	120.00	4,92,624
4.	**आरसीएफसी** (पूर्वी क्षेत्र)	जादवपुर विश्वविद्यालय, 188, राजा एस.सी. मल्लिक रोड, कोलकाता - 700032, पश्चिम बंगाल	135.00	19,65,411
5.	**आरसीएफसी** (दक्षिणी क्षेत्र)	केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई), पीची - 680653, त्रिशूर, केरल	135.00	32,84,670
6.	**आरसीएफसी** (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनईआईएसटी), एनएच-37, पुलिबोर, जोरहाट, असम 785006	135.00	16,99,263
7.	**आरसीएफसी** (पश्चिमी क्षेत्र)	वनस्पति विज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे-411007, महाराष्ट्र	135.00	7,76,335
	कुल		**915.00**	**1,11,28,491**

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना भी कार्यान्वित की थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादपों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक 220 पौशशालाओं को सहयोग प्रदान किया था। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक समर्थित पौधशालाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जी हां। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का विकास करने हेतु राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का विकास करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक **गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का विकास करने हेतु समर्थित परियोजनाओं की संख्या का राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र सं.	**राज्य**	**गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री/पौधशाला के लिए समर्थित परियोजनाओं की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	3
2	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	6
4	बिहार	1
5	छत्तीसगढ़	1
6	दिल्ली	4
7	गोवा	2
8	गुजरात	3
9	हिमाचल प्रदेश	2
10	जम्मू-कश्मीर	3
11	झारखंड	0
12	कर्नाटक	2
13	केरल	4
14	मध्य प्रदेश	2
15	महाराष्ट्र	7
16	मणिपुर	3
17	मेघालय	1
18	मिजोरम	6
19	नागालैंड	2
20	ओडिशा	4
21	पंजाब	4
22	राजस्थान	2
23	सिक्किम	1
24	तमिलनाडु	3
25	तेलंगाना	10
26	उत्तर प्रदेश	7
27	उत्तराखंड	2
28	पश्चिमी बंगाल	6
समर्थित परियोजनाओं की कुल संख्या		**93**

संलग्नक-II

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक समर्थित पौधशालाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2	9	4	4	3	0	**22**
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1	3	0	**5**
3	असम	0	1	3	0	0	0	**4**
4	बिहार	0	0	0	0	7	0	**7**
5	छत्तीसगढ़	0	1	2	2	0	0	**5**
6	गोवा	0	1	1	0	2	0	**4**
7	गुजरात	4	4	2	3	0	0	**13**
8	हरियाणा	0	1	0	0	0	0	**1**
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	2	3	3	0	**9**
10	जम्मू-कश्मीर	6	2	2	4	1	2	**17**
11	कर्नाटक	0	0	0	1	0	0	**1**
12	केरल	1	2	2	2	0	10	**17**
13	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	**0**
14	महाराष्ट्र	0	0	2	0	4	0	**6**
15	मणिपुर	2	0	1	2	1	0	**6**
16	मेघालय	0	2	3	0	2	0	**7**
17	मिजोरम	1	3	2	2	1	1	**10**
18	नागालैंड	0	0	4	3	0	0	**7**
19	ओडिशा	0	0	0	3	0	0	**3**
20	पुडुचेरी	0	0	0	1	0	0	**1**
21	पंजाब	0	2	0	3	6	0	**11**
22	राजस्थान	4	1	4	0	7	0	**16**
23	सिक्किम	0	1	0	0	0	0	**1**
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	**0**
25	तेलंगाना	1	2	2	1	3	0	**9**
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	**0**
27	उत्तराखंड	1	2	0	0	3	0	**6**
28	उत्तर प्रदेश	5	5	0	1	0	10	**21**
29	पश्चिमी बंगाल	4	0	1	2	4	0	**11**
कुल		**32**	**39**	**38**	**38**	**50**	**23**	**220**

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विकास करने के लिए एनएमपीबी और एनबीआरआई-सीएसआईआर के बीच भूमिका और उत्तरदायित्व

एनएमपीबी की भूमिका और उत्तरदायित्व

एमओयू की अवधि और कार्यकाल के दौरान, एनएमपीबी देश भर में कार्यरत अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात राज्य औषधीय पादप बोर्डों, राज्य आयुष समितियों, राज्य बागवानी विभागों, क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रों के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के साथ संयोजन और सहयोग से एनएमपीबी अधिदेश के दायरे में निम्नलिखित को सुगम बनाने के लिए कार्य करेगा:

1. जर्मप्लाज्म संग्रहण/संरक्षण और पौधशाला एवं बीज बैंकों/जीन बैंकों की स्थापना करने के लिए उच्च व्यावसायिक मूल्य वाली संभावित औषधीय पादप प्रजातियों की पहचान करना।

2. एनएमपीबी द्वारा पहचान किए गए औषधीय पादपों के लिए जर्मप्लाज्म/बीज बैंकों की स्थापना करने के लिए परियोजना मोड में वित्तीय सहायता प्रदान करके उपरोक्त मद सं.-1 में सूचीबद्ध कार्य करने में सीएसआईआर-एनबीआरआई को सहयोग प्रदान करना।

3. संबंधित जांच समिति द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुशंसा करना और अनुमोदित परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्थायी वित्त समिति के समक्ष रखना और तदनुसार मामला—दर-मामला आधार पर बजटीय सहायता उपलब्ध कराना।

सीएसआईआर-एनबीआरआई की भूमिका और उत्तरदायित्व

- एनएमपीबी द्वारा पहचान किए गए औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विकास करना, क्यूपीएम हेतु अपनी पादप पौधशालाओं की स्थापना करना, दुर्लभ, लुप्तप्राय, संकटग्रस्त औषधीय पादप प्रजातियों अथवा उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों के पादपों सहित विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उपयुक्त औषधीय पादपों का विकास, संवर्धन, संरक्षण और खेती करना।

- चयनित औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, कृषि प्रौद्योगिकी का विकास , गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री तैयार करना।